संख्याः 789/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2005

विषयः तहसील किच्छा के खसरा संख्या–669 मध्ये 9 X 12 फिट भूखण्ड को श्री राजकुमार पुत्र श्री कश्मीरीलाल निवासी किच्छा को लीज पर स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–14/11–आर0के0खाम/2005 दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तहसील किच्छा के खसरा संख्या–669 मध्ये 9 X 12 फिट भूखण्ड को श्री राजकुमार पुत्र श्री कश्मीरीलाल निवासी किच्छा को लीज पर स्वीकृत करने की राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई,1984 एवं शासनादेश संख्या–1695/ 97–1–1(60)/93–रा0–1 दिनांक 12 सितम्बर,1997 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार वर्तमान बाजार दर रु0 35,000–00 के दो गुनी दर से निकाले गये भूमि के मूल्य रु0 70,000–00 के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी रु0 30–00 (रु0 तीस मात्र) के बीस गुने रु0 600–00 वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार, पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(2)

(4) पट्टेदार एवं उसके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा।

(5) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(6) यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 6 तक में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3– श्री राजकुमार पुत्र श्री कश्मीरीलाल निवासी किच्छा, उधमसिंहनगर।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।